अन्तर्जातीय/अन्तरधार्मिक विवाह करने वाले दम्पतियों को लघुस्तरीय उद्योग आरम्भ करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाने से सम्बन्धित कार्यकारी सिद्धान्त ।

अन्तर्जातीय / अन्तधार्मिक विवाह करने वाला ऐसा दम्पति जो सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित योजना के अन्तर्गत आये, लघुस्तरीय उद्योग लागू करने के लिए ब्याजमुक्त ऋण पाने का पात्र होगा ।

ऋण की धनराशि

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए प्रत्येक पात्र दम्पति को अधिक से अधिक 15,000 रु0 तक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जा सकता है । परन्तु आवेदक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उद्योग सम्बन्धी योजना की कुल लागत की कम से कम 5 प्रतिशत धनराशि अपने निजी संसाधनों से विनियोजित करे ।

आवेदन करने की रीति

ऋण के लिए आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में उस जिले के जिला उद्योग अधिकारी को दिए जायेंगे जहां आवेदक निवास करता हो । उद्योग जिला अधिकारी सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार आवेदनपत्रों की आवश्यक संनिरीक्षा करने के पश्चात् उन पर अपनी विशिष्ट संस्तुतियां लिखकर उन्हें जिला उद्योग समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी टीका प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें उपयुक्त आवेदकों को ऋण स्वीकृत किए जाने के लिए सरकार को अग्रसारित करेगा ।

ऋण वसूली की रीति

यथापूर्वोक्त प्रदान किए गए ऋण का प्रतिदान दस समान छमाही किस्तों में किया जाएगा ऋण के प्रतिदान की पहली किस्त ऋण आहरण के दिनांक से दो वर्ष के बाद देय होगी । उस दशा में जब कि ऋण की किस्तों का भुगतान देय दिनांक को न किया जाय और उस दशा में भी कि जब ऋण प्राप्त करने वाले दम्पति का विवाह-विच्छेद बिना किसी उचित कारण के और विवाह के दिनांक से दस वर्ष समाप्त होने से पूर्व हो जाए या उस दशा म जब कि विवाह कपटपूर्ण ढंग से किए गए हो, सरकार को यह शक्ति होगी कि उसे आवेदक से 8 1/2 प्रतिशत वार्षिक दर या उस समय लागू दर से ब्याज सहित भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ले । यदि ऋणगृहीता ऋण की किस्त का देय दिनांक को भुगतान करने में एक बार भी चूक करे तो ऋण की शेष धनराशि पर इसी दर से ब्याज वसूल किया जाएगा । ब्याज की यह धनराशि ऋण किस्तों के साथ-साथ वसूल की जाएगी । ऋण का उपयोग इसके आहरण के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा । उपयोग में न लाई गई धनराशि, यदि कोई हो वापस कर दी जानी चाहिए, अन्यथा, उस पर 8 1/2 प्रतिशत की दर से या प्रचलित दर से ब्याज वसूल किया जाएगा । ऋणगृहीता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को उस सम्पूर्ण परिसंपत्ति को, जिसे उसने ऋण की रूप में दी गई सम्पूर्ण धनराशि से तथा उस धनराशि से भी जिसे उसने अपने निजी संसाधनों से विनियोजित किया हो, अर्जित या क्रय किया हो उस समय तक बन्धक रखेगा जब तक कि ऋण की सम्पूर्ण धनराशि और ब्याज, यदि कोई उस पर उद्भूत हो, का पूर्णरूप से भुगतान न हो जाए ।

ऋण के लिए पात्रता

केवल वे ही विवाहित दम्पति ऋण पाने के पात्र होंगे जिनमें से एक व्यक्ति अन्तर्जातीय विवाह की दशा में भारत के संविधान में यथापरिभाषित अनुसूचित जाति का हो और अन्तर्धार्मिक विवाह की दशा में दोनों व्यक्ति विवाह से पूर्व भिन्न-भिन्न धर्म के अनुयायी हों (ऋणगृहीता के लिए यह आवश्यक होगा कि जो उद्योग वह आरम्भ करे उसकी कार्यविधि का उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो) ।

जांच करने वाले अधिकारी के कर्तव्य

जांच करने वाला अधिकारी उस जिले का उद्योग अधिकारी होगा जहां वह निवास करता हो या लघु स्तरीय उद्योग आरम्भ करने का इरादा हो जांच अधिकारी, उन आवेदन-पत्रों की संनिरीक्षा करने के दौरान जो उसे ऋण के लिए प्राप्त हुए हों, ऊपर दी गई शर्तों के अलावा यह भी देखेगा कि प्रश्नगत उद्योग ऐसा जीवनक्षम न हो कि दिया जाने वाला ऋण अशोध्य हो जाए । वह सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का भी ध्यान रखेगा ।

आवेदक को ऋण स्वीकृत किए जाने से पूर्व आवेदक उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा विहित प्रपत्र में एक बन्ध-पत्र निष्पादित करेगा ।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 सा0 प्रशासन-11-2-94–(3186)–1994–1000(हि0)